

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART
II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, the 07 September, 2020,

G.S.R. ___ (E). - In exercise of the powers conferred by section 73 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (c), in sub-clause (xvii), -


(i) for the words "five years", the words "ten years" shall be substituted;

(ii) in the Explanation, in clause I, for the letters, figures, brackets and words "G.S.R. 180 (E) dated 17th February, 2016 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry", the letters, figures,

brackets and words "G.S.R. 127 (E), dated the 19th February, 2019 issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade " shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (3), in the second proviso, in clause (i), for the words "five years", the words, "ten years" shall be substituted.

[File No 1/8/2013- CL-V Vol VI]


07/9/2020
(K V R Murty)

Joint Secretary to the Government of India

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 341(E), dated the 30th April, 2019.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 07 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) नियम, 2014 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 में, उपनियम (1) में, खंड (ग) में, उपखंड (xvii) में,-

(i) "पांच वर्ष" शब्दों के लिए "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड 1 में, "औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सा.का.नि.180(अ) तारीख 17 फरवरी, 2016" अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के लिए "उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी सा.का.नि.127(अ) तारीख 19 फरवरी, 2019 अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 3 में, उप-नियम (3) में, द्वितीय परंतुक में, खंड (i) में, "पांच वर्ष" शब्दों के लिए "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं.1/8/2013-सीएल.V वीओएल VI]

के.वी.आर. मूर्ति
07/9/2020
(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. संख्या 256(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए थे और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 341(अ) तारीख 30 अप्रैल, 2019 द्वारा किया गया।
